न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/167/2019	15–10–2019	02–03–2021

01–सतीश कुमार सेनी पुत्र स्व0 भगवान सहाय सैनी निवासी धोबीगटटा दाई की गुमटी नई बस्ती अलवर जिला अलवर। अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0 रेस्पोडेन्ट
2–किशन लाल पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सैनी जाति सैनी।
3–छोटू पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सैनी।
4–पप्पू पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सैनी।
5–प्रताप पुत्र भैरू उर्फ सुगडाराम सैनी, निवासीयान धोबी गटटा दाई की गुमटी अलवर।
6–राजोदेवी पुत्री भैरू उर्फ सुगडाराम सैनी निवासी पटायरी की डूंगरी राजगढ।

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 31–10–2001 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 121 ग्राम कैमाला तहसील अलवर में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया गया है।

उपस्थित :–

01. श्री आशीष खण्डेलवाल —वकील अपीलान्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 31–10–2001 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 121 वाके ग्राम कैमाला तहसील अलवर में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलीय इंतकाल में वर्णित आराजी अपीलान्ट के दादा भैरू उर्फ सुगडाराम काबिज काश्तकार था, भैरू की धर्मपत्नि पारो देवी का भी देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट के दादा का विरासत का विवादित इंतकाल संख्या 121 दिनांक 31.10.2001 को पटवारी हल्का ने जांच करते हुऐं तहसीलदार अलवर यहां पेश किया जिसमें काश्तकार के नाम की जगह सतीश पुत्र भेरू उर्फ सुगडाराम 1/2 दर्ज कर दिया जबकि सतीश पुत्र भगवान सहाय दर्ज होना चाहिऐं था क्योंकि भेरू उर्फ सुगडाराम अपीलान्ट सतीश का दादा लगता था। अपीलान्ट के पिता भगवान सहाय सैनी का देहान्त हो जाने के कारण उनकी पत्नि लाली देवी जो मेरी माता थी उन्होनें अपीलान्ट के चाचा पप्पूराम सैनी के साथ पुर्नविवाह कर लिया है। इसलिए मेरी माता के सीन पर मेरे नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किया जावें। तहत न्यायालय ने अपीलीय इंतकाल बिना जांच बिना मौका देखें ही व वारिसान की जानकारी किये बिना ही बाला–बाला दर्ज व स्वीकार किया है। जिससे अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा के संबंध में दर्ज करते समय किसी प्रकार के रिकार्ड व मौका की जांच नही की गई जिससे अपीलान्ट की वल्दीयत गलत रूप से दर्ज हुआ है। इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16–01–2019 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 19.1.19 को प्राप्त हुई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

रैस्पा0 संख्या 2 लगायत 6 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता का नाम गलती से भगवान सहाय सैनी के सीान पर भेरू उर्फ सुगडाराम जो अपीलान्ट का दादा लगता है दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट के पिता का वास्तविक नाम भगवान सहाय है। यदि अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज किये जाने में हमको एतराज नहीं है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार का एतराज नहीं करेगें। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि इंतकाल संख्या 121 में काश्तकार के स्थान पर सतीश पुत्र भेरू उर्फ सुगडाराम का नाम निरस्त किया जाकर उसके साथ पर अपीलान्ट सतीश पुत्र भगवानसहाय का नाम इंतकाल दर्ज किया जावें। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट वकील द्वारा अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेंश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। अपीलान्ट द्वारा वल्दीयत के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है, और ना ही अपीलान्ट द्वारा अपील में यह कहीं यह अंकित किया है कि अपीलान्ट के पिता का कब देहान्त हुआ। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16–01–2019 को होना अपनी अपील में दर्शाया है, दिनांक 16.1.19 से पूर्व जानकारी के बारे में भी दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 31.10.2001 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02–03–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नू मल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर